सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम **प्रकरण संख्या 46/2019** (RCMS 2019/00082) 1. **रचना पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार जाखड़** जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) 2. **जसवीर सिंह पुत्र मल सिंह** निवासी वार्ड नं 12, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.) 3. **कालूराम पुत्र हनुमानराम** निवासी रामसरा जाखडान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 4. **जगदीश गोदारा पुत्र बिहारी लाल** निवासी संघर, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) 5. **हेतराम गोदारा पुत्र सुलतान राम** निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **बनाम** जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण रचना पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार जाखड़, जसवीर सिंह पुत्र श्री मल सिंह, कालूराम पुत्र श्री हनुमान राम, जगदीश गोदारा पुत्र श्री बिहारीलाल के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास उपस्थित नहीं हुए एवं विभागीय प्रतिनिधि से श्री सुरेश कुमार उपस्थित है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना दिनांक 14.03.2019 पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण रचना पत्नी स्व. देवेन्द्र कुमार जाखड़, जसवीर सिंह पुत्र मल सिंह, कालूराम पुत्र हनुमान राम, जगदीश गोदारा पुत्र बिहारी लाल एवं हेतराम गोदारा पुत्र सुलताना राम के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास का कथन था कि 6 ए प्रकरण संख्या 58/2014 अनवान सरकार बनाम जसवीर सिंह मे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2014 के आदेश द्वारा जब्तशुदा वाहन, 1235 लीटर डीजल एवं 6 प्लास्टिक ड्रमों को राजसात करने के आदेश दिये गये थे तथा वाहन को प्राप्त करने की सूरत में जुर्माना राशि 70,500/– रूपये अधिरोपित की गई थी। जिला एवं सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.02.2015 के अनुसार डीजल को राजसात करने का आदेश यथावत रखा गया परन्तु वाहन की जुर्माना राशि 70,500/– रूपये से घटाकर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

45,000/– रूपये की गई जिसे चालान नं जीआरएन 4356172 दिनांक 15.11.2014 से राशि जमा करवाकर वाहन जसवीर सिंह ने प्राप्त कर लिया था।

उनका आगे कथन था कि वाहन में जो डीजल था व प्रार्थी संख्या–2 जसवीर सिंह द्वारा परिवहन किया जा रहा था एवं जिसमें कालूराम का 200 लीटर, जगदीश गोदारा का 400 लीटर, प्रार्थी संख्या –2 जगसीर सिंह–स्वयं का 200 लीटर व हेतराम गोदारा का 300 लीटर कुल 1100 लीटर डीजल खरीदकर लाया गया था, जबकि जब्त अधिकारी द्वारा 200 लीटर के ड्रम को आधार मानते हुए 6 ड्रमों में कुल 1200 लीटर डीजल माना है जबकि डीजल वास्तव में 1100 लीटर ही था।

उनका आगे कथन था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2014 व जिला एवं सैशन न्यायालय का आदेश दिनांक 11.02.2015 को अपास्त कर एसबी क्रिमिनल रिवीजन संख्या 347/2016 में दिनांक 19.05.2017 को रिवीजन स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 1 व 2 को 6 प्रतिशत ब्याज सहित डीजल/डीजल की राशि व वाहन की जमाशुदा राशि 70,500/– रूपये मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश दिये गये है। इसलिए प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के जब्तशुदा 1235 लीटर डीजल की राशि तथा जमाशुदा राशि 70,500/– रूपये मय ब्याज प्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करें एवं समस्त डीजल राशि रचना जाखड़ के खाते में जमा करवान के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगांगनगर ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में 05 परिवादियों के नाम से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

डीजल छोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में परिवादी 1 ता 4 द्वारा ही हस्ताक्षर कर दावा प्रस्तुत किया गया है. जबकि प्रार्थी संख्या 05— हेतराम के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर हीं नही है। जब्त किये गये 1235 लीटर डीजल के सम्बन्ध में स्थित इस प्रकार से है :

1. रचना पत्नी स्व. देवेन्द्र कुमार जाखड़ (स्वयं का कोई डीजल नहीं है)
2. जसवीर सिह पुत्र मल सिंह (200 लीटर डीजल की मांग)
3. कालूराम पुत्र हनुमानराम (200 लीटर डीजल की मांग)
4. जगदीश गोदारा पुत्र बिहारी लाल (400 लीटर डीजल की मांग)
5. हेतराम गोदारा पुत्र सुलतारा राम (300 लीटर डीजल की मांग)

उनका आगे कथन था कि क्रम संख्या 5 पर अंकित पक्षकार हेतराम गोदारा पुत्र श्री सुलतान राम की ओर से उसके 300 लीटर डीजल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण उसके 300 लीटर डीजल की राशि लौटाया जाना संभव नहीं है।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थना पत्र में अंकित परिवादी संख्या 02 ता 04 की ओर से डीजल की राशि उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में नहीं जमा करवाई जाकर, परिवादी संख्या 01 रचना पत्नी देवेन्द्र कुमार जाखड़ के खाते में लौटाने की मांग की गई जबकि रचना पत्नी देवेन्द्र कुमार जाखड़ से डीजल जब्त ही नहीं किया गया थ इसलिए उसे लौटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

उनका आगे कथन था कि निर्णय के अनुसार प्रकरण में जब्त डीजल की मात्रा 1235 लीटर है, जिसकी चालान संख्या 4356172/14.01.2015 के द्वारा राजकोष में राशि रूपये 70,500/— रूपये जमा करवाई गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त 1100 लीटर डीजल के अतिरिक्त शेष 135 लीटर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

डीजल के सम्बन्ध में कोई दावेदार आजतक प्रस्तुत नहीं हुआ है और न ही इसके सम्बन्ध उनके द्वारा कोई बिल पेश किया गया है। इस प्रकार परिवादी संख्या 2 ता 4 के कुल 800 लीटर डीजल की राशि केवल उनके स्वयं के बैंक खातों में जमा करवाई जाकर शेष 435 डीजल की राशि राजकोष में जमा रखी जानी उचित होगी।

मैनें दोनों पक्षों के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि धारा 6 ए प्रकरण संख्या 58/2014 सरकार बनाम जसवीर सिंह पुत्र मल सिंह मे दिनांक 01.12.2014 के आदेश द्वारा 1235 लीटर डीजल राजसात किया गया था एवं वाहन भी राजसात किया गया थे, जिसकी एवज् में 70,500/— रूपये वाहन स्वामी पर जुर्माना आरोपित किया गया था। जिसकी अपील जिला सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के पेश होने पर उन्होनें अपने निर्णय दिनांक 11.02.2015 के द्वारा डीजल को राजसात करने का आदेश यथावत रखा परन्तु वाहन की जुर्माना राश 70,500/— रूपये से घटाकर 40,500/— रूपये की गई। जसवीर सिंह राशि चालान नं. जीआरएन 4356172 दिनांक 15.11.2014 से राशि जमा कर वाहन प्राप्त कर लिया था। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2014 व जिला एवं सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.02.2015 को अपास्त कर एसबी क्रिमिनल रिवीजन संख्या 347/2016 में दिनांक 19.05.2017 को रिवीजन स्वीकार कर प्रार्थीगण को 6 प्रतिशत ब्याज सहित डीजल/डीजल की राशि व वाहन की जमाशुदा राशि 70,500/— रूपये मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश दिये गये है। वाहन पूर्व में जसवीर सिंह द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। अब प्रार्थीगण 2 ता 5 द्वारा राजसात किये गये डीजल अथवा उसकी राशि व 70,500/— रूपये मय ब्याज

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी संख्या 01 रचना जाखड़ के खाते में जमा करवाने की प्रार्थना की है, जो स्वीकार किया जाना उचित नही हैं क्योंकि रचना जाखड़ पत्नी देवेन्द्र जाखड से कोई डीजल जब्त नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति का जितना डीजल था, उसे उतने ही लौटाया जा सकता है। प्रार्थी संख्या 5 हेतराम गोदारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर नहीं किये गये है तथा न ही उसने कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी संख्या 2 ता 4 जो जितने डीजल का स्वामी है, उसे डीजल/राशि नियमानुसार लौटाया जा सकती है।

अतः जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि जब्तशुदा डीजल बिलों के अनुसार 200 लीटर जसवीर सिंह पुत्र मल सिंह, 200 लीटर– कालूराम पुत्र हनुमानाराम एवं 400 लीटर – जगदीश गोदारा पुत्र बिहारी लाल को कुल 800 लीटर डीजल या विक्रय की दशा नियमानुसार उनकी राशि उक्त समस्त प्रार्थीगण श्री जसवीर सिंह, श्री कालूराम एवं श्री जगदीश गोदारा की उचित पहचान कर विधिवत् वापिस लौटायें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित **किया जाता है।** जिला रसद अधिकारी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर